प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

अत्यावश्यक सूचना

दिनांक – 17.03.2016 एवं 18.03.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर आवास, तृतीय एवं चतुर्थवर्ग आवास में जो भी पदाधिकारी/कर्मचारी बिना किसी अनुमति के अनाधिकृत रूप से रह रहें हैं, को अन्तिम रूप से स्मारित करते हुए सूचित किया जाता है कि आप सभी एक सप्ताह के अन्दर रह रहें आवास को स्वतः खाली कर दें और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को तुरन्त दें ।

तय समय सीमा के अन्दर यदि आप आवास खाली नही करते हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिए गए सख्त निर्देश के आलोक में आप पर स्थानीय थाना में F.I.R. दर्ज करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी । साथ ही आपकी सेवा समाप्ति के लिए अनुशंसा करते हुए सरकार को सूचित किया जाएगा । इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

ह0/–
प्राचार्य

ज्ञापांकः–654/16 दिनांकः–19.3.16

प्रतिलिपिः–

1) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2) प्रभारी प्राध्यापक (प्रशासन)/Estate Officer/बरसर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

3) संबंधित स्थापना लिपिक, श्री कृष्ण महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

4) कॉलेज सूचना पट्ट/अस्पताल सूचना पट्ट पर सूचनार्थ प्रेषित ।

19/3/16
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर